



फा.क. संसंकप/चुनाव/2023.26/1

दिनांक : 20.02.2023

परिपत्र

कार्यालय आदेश संख्या फा.क. 7-56/आईजेएससी/2023-2026-प्रशासन-प्रथम् दिनांक 08.02.2023 की अनुपालनानुसार संस्थान की संयुक्त कर्मचारी परिषद की विभिन्न श्रेणियों के 06 प्रतिनिधियों (तकनीकी-2, मंत्रालयिक-2, चतुर्थ श्रेणी - 2) के चुनाव का कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है :

क्र.सं.	चुनाव कार्यक्रम	तिथि
1	नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि व अंतिम तिथि	21.02.2023 से 24.02.2023 तक (अपरान्ह 3 बजे तक)
2	नामांकन पत्रों की जांच व वैधता की घोषणा	28.02.2023
3	नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि एवं समय	01.03.2023 अपरान्ह 3 बजे तक
4	मान्य प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन व चुनाव चिन्ह आवंटन	02/03/23
5	मतदान की तिथि एवं समय	20.03.2023 (प्रातः 10 से सांय 03 बजे तक)
6	मतगणना व परिणाम घोषणा	20.03.2023 (दोपहर बाद 3.30 बजे से)

नामांकनपत्र का प्रारूप तथा मतदाताओं के लिये परामर्श संलग्न हैं। संस्थान के केवल वे ही नियमित कर्मचारी मतदान में भाग ले सकेंगे, जिनकी सूची कार्यालय द्वारा उपरोक्त आदेश के साथ उपलब्ध करवायी गई हैं। इस सूची की प्रति विभागाध्यक्षों व काजरी संयुक्त कर्मचारी परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी। सूची का अवलोकन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों व प्रक्षेत्रों के प्रभारी के कार्यालय में भी अपरान्ह 3-4 बजे के दौरान किया जा सकता है। इच्छुक प्रत्याशी नामांकनपत्र प्रारूप (फोटोप्रति स्वीकार्य) के अनुसार नामांकनपत्र, सहायक निर्वाचन अधिकारी, श्री रामपाल वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय (प्रशासनिक भवन) में जमा कराएँ। क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों व केवीके के प्रत्याशी नामांकन पत्र संबंधित केंद्र के प्रभारी को नियत तिथि एवं समय पर जमा कराये जिसे केन्द्र प्रभारी नियत समयानुसार ईमेल के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे। अंतिम तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त नामांकन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अवकाश पर गये या जाने वाले मतदाता डाक मतपत्र के लिये 08 मार्च से 20 मार्च, 2023 के बीच सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इन मतदाताओं के डाकमतपत्र मतदान की तिथि तक सहायक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में पहुच जाने चाहिये। 20 मार्च, 2023 को मतदान कार्य मुख्यालय, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, भुज एवं लेह स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों में निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित मतदानदलों द्वारा निष्पादित करवाये जायेंगे। केवीके में कार्यरत मतदाता अपना मतदान वहां स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र पर करेंगे। चुनाव उपरान्त क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों पर नामित चुनाव अधिकारी मतगणना का कार्य करते हुये परिणाम तैयार कर तुरंत चुनाव अधिकारी को ईमेल द्वारा सूचित करेंगे। गणना उपरान्त काम मे लिए गए व बचे हुये मतपत्रों को निर्वाचन अधिकारी को सीलबंद लिफाफे में भेजेंगे।

मतगणना के समय स्वयं प्रत्याशी अथवा उसका कोई एक अधिकृत प्रतिनिधि मतगणना स्थल (संस्थान के सभागार एवं क्षेत्रीय केन्द्र पर) उपस्थित रहने का अधिकारी होगा।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।


20.2.23
निर्वाचन अधिकारी

वितरण :

1. अध्यक्ष, विभाग-I/II/III/IV/V/VI, एवं इनके अधीनस्थ आने वाले अनुभाग, काजरी, जोधपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, पुस्तकालय/वाहनकार्यपाला/रखरखाव अनुभाग/सुरक्षा अनुभाग/अतिथिगृह/हॉस्टल/फार्मअनुभाग/आर.सी.एम.एस./पी.एम.ई./ए.के.एम.यू./केवीके, जोधपुर/पाली/कृत्तकनियंत्रण, काजरी, जोधपुर।
3. अध्यक्ष, काजरी प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र-पाली/बीकानेर/जैसलमेर/भुज/लेह।
4. AAO, Adm.I/II/III/IV/V, एवं AFAO, Audit-I/II/III, काजरी, जोधपुर।
5. निजीसचिव, निदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वण्ग्रेडद्ध/वित्त एवं लेखा नियंत्रक, काजरी, जोधपुर को सूचनार्थ।
- श्री रामपाल वर्मा ए प्रशासनिक अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं। ज़डन् प्रभारी अधिकारी काजरी इंटरा पर सूचना अपलोड करना सुनिश्चित कराये

भा. कृ. अनु. प. —केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्)
संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद् चुनाव 2023.26

I, (Name of proposer), (Designation),
(Employee/ERP No. propose the name of Mr./Ms(Candidate's name)
.....

Designation

Employee/ERP No.

for member of the Institute Joint Staff Council in the category
ADMINISTRATIVE/TECHNICAL/SUPPORTING (Strike off category not applicable)

Signature of Proposer

I,, DesignationEmployee/ERP
No..... second the name of Mr./Ms. for the
membership of IJSC.

Signature of the Seconder

मैं, (प्रस्तावक का नाम), पद-----
----- कर्मचारी/ई.आर.पी. संख्या काजरी संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद् के लिये
प्रशासकीय/तकनीकी/सहायक (जो लागू न हो, उसे काट दें) वग 'में श्री/श्रीमती
.....
पद कर्मचारी/ई.आर.पी.संख्या का नाम सदस्य के लिये
प्रस्तावित करता/करती हूँ ।

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

मैं, (अनुमोदक का नाम), पद
कर्मचारी/ई.आर.पी. संख्या संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद् के लिये उक्त
प्रत्याशी श्री/श्रीमती..... के नाम का अनुमोदन करता/करती हूँ ।

अनुमोदक के हस्ताक्षर

INSTITUTE JOINT STAFF COUNCIL ELECTION 2023-26

मतदाताओं के लिये परामर्श

- सुगम मतदान के लिये यदि हो सके तो संस्थान द्वारा प्रदत्त फोटो युक्त परिचय पत्र साथ लायें, जिसमें कर्मचारी/ई.आर.पी.संख्या, पदस्थापन आदि की जानकारी होती है।
- मतदाता सूची की प्रति काजरी संयुक्त कर्मचारी परिषद् कार्यालय में उपलब्ध करवाई जायेगी। मतदान पूर्व अपनी मतदाता या ई.आर.पी.संख्या अवश्य ज्ञात कर लें। प्रशासनिक कार्यालय द्वारा जारी मतदाता सूची में वर्णित नामों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति काजरी संयुक्त कर्मचारी परिषद् के लिये मतदान नहीं कर सकेंगे।
- मतदाता द्वारा प्रशासनिक वर्ग में अधिकतम दो, तकनीकी वर्ग में दो तथा सहायक वर्ग में दो प्रत्याशियों के लिये किये गये निशान (मतदान) ही मान्य होंगे। सीमा से अधिक निशान वाले मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।
- मतदान पर सील अथवा सही (✓) का निशान प्रत्याशी के नाम के आगे वाले खाली (अंतिम) कॉलम के दायरे में ही लगा होना चाहिये। अन्य किसी भी स्थान पर लगायी गयी सील अथवा निशान मान्य नहीं होंगे। ऐसे मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।

प्रशासनिक व तकनीकी वर्ग मतपत्र

क.सं.	प्रत्याशीकानाम	सीलअथवासही (✓) कानिशानलगानेकास्थान
-------	----------------	---------------------------------------

कुशल सहायक वर्ग मतपत्र

क.सं.	प्रत्याशी	चुनावचिन्ह	सीलअथवासही (✓) कानिशानलगानेकास्थान
-------	-----------	------------	---------------------------------------

- निर्धारित स्थान पर सील या सही के निशान के अतिरिक्त, मतपत्र पर किसी भी जगह कोई भी अन्य निशान अथवा हस्ताक्षर आदि मान्य नहीं होगा। ऐसे मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।
- डाकमत पत्र बंद लिफाफे में ही स्वीकार किये जायेंगे।
- संयुक्त कर्मचारी परिषद् आपकी अपनी प्रतिनिधि सभा है। इसके गठन के लिये किये जा रहे चुनाव में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

• निर्वाचन अधिकारी